

-: आदेश :-

उपरोक्त प्राथीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती परस्पर लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्राथीयों ने सहमति दी है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खरारा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खरारा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1.	चौधुराम पुत्र आसाराम काम जाट सा. देह खतेदार। 2 हज़ वस्तु	300 665 539 673 272 675 440	1.00 0.05 9.00 10.02	चौधुराम पुत्र आसाराम काम जाट सा. देह खतेदार 2 हज़ वस्तु	300 665 539 673 272 675 440	1.00 0.05 9.00 10.02

क्रमांक : 29/6/3/20
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्काको भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

तहसीलदार डीडवाना

